

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. नारायण लाल पुत्र मंछा राम जी, जाति- नागर, निवासी- गुडेश्वर महादेव की गली, रेवदर, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
फर्म:- महालक्ष्मी स्वीट् मार्ट, बस स्टेण्ड, रेवदर, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
- 2- RIKIN AGARWAL
फर्म:- KANHA TRADERS, AZAD MAIDAN, ABUROAD, DIST. SIROHI
- 3- BHARAT KUMAR SUKHIJA S/o GORDHAN DAS SUKHIJA,
11/622, DRON SCHOOL KE SAMNE, MUKTA PRASAD COLONY, BIKANER
(नॉमिनी निर्माता फर्म)
फर्म:- BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED, F/196-199, F/178 & E-188-BICHHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334006 (Raj)
- 4- BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED, F/196-199, F/178 & E-188-BICHHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334006 (Raj)

प्रकरण संख्या: 30/2020

“अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से
2. अधिवक्ता श्री शैतान खरोर, प्रतिवादी संख्या- 2 से 4 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 09 मार्च, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 14.10.2019 को दौराने गश्त समय 05.00 पी.एम. पर फर्म महालक्ष्मी स्वीट् मार्ट, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरोही पर पहुँचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से नारायण लाल पुत्र मंछाराम जी, जाति- नागर, निवासी- गुडेश्वर महादेवी की गली, रेवदर, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले सोन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद सोन


.....पेज



बति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के 10 पैकेट पैकेट (प्रत्येक 450 ग्राम) में से सोन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के 4 पैकेट पैकेट (प्रत्येक 450 ग्राम) जांच हेतु खरीदे एवं खरीदशुदा सोन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) की कीमत 600/- रुपये नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार कर, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर किये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1045, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। खरीदशुदा सोन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया। चारों नमूना पैकेटों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1045 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बाँय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 15.10.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरौही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही से सोन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नारायण लाल से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) का नमूना S-1045 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व

....पेज तीन पर




अति. चि. पत्रिका
सिरौही-307001.

अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 (नारायण लाल) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी नारायण लाल की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान खरोर उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 25.2.2022 को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी नारायण लाल ने सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के पैकड पैकेट क्रय कर पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किये है। खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के लेबल पर हुई त्रुटि के लिये निर्माता फर्म जिम्मेदार है। प्रतिवादी नारायण लाल के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विधिवत कार्यवाही नहीं की है एवं खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट भी प्रतिवादी को नहीं भिजवाई है जिसके कारण प्रतिवादी नारायण लाल खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है, जो उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा 4 का उल्लंघन है, इसलिये प्रतिवादी नारायण लाल के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 से सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) क्रय किया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने मिथ्याछाप सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) का विक्रय नहीं किया है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जावे।


(4) हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 14.10.2019 को 05.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य
....पेज चार पर



पति. जिला अधिवक्ता
सिरोही-307001.

सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म महालक्ष्मी स्वीट् मार्ट, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरौही पर गये। उक्त फर्म महालक्ष्मी स्वीट् मार्ट, बस स्टेण्ड, रेवदर में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से नारायण लाल पुत्र मंछा राम जी, जाति- नागर, निवासी- गुडेश्वर महादेव की गली, रेवदर, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता को सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म महालक्ष्मी स्वीट् मार्ट, बस स्टेण्ड, रेवदर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क़य करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता नारायण लाल को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान में आलमारी की रैक में विक्री हेतु रखे हुए सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के 10 पैकड पैकेट (प्रत्येक 450 ग्राम) में से सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के 4 पैकड पैकेट (प्रत्येक 450 ग्राम) को जांच हेतु खरीदा एवं खरीदशुदा सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 600/- (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता नारायण लाल, गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के कोड एवं क्रमांक S-1045, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता नारायण लाल व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के खरीदशुदा चारों पैकड पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1045 को नियमानुसार गोंद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता नारायण लाल, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क़य का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म महालक्ष्मी स्वीट् मार्ट, बस स्टेण्ड, रेवदर में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता नारायण लाल से खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क़य करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

.....पेज पांच पर



a
अति. निरीक्षण अधिकारी
सिरौही-307801

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपड़ी से सिलड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 14.10.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1045 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./816/Act/2019/927 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म महालक्ष्मी स्वीट् मार्ट, बस स्टेण्ड, रेवदर में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता नारायण लाल से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) का नमूना S-1045 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुमनि योग्य अपराध है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/12631-33 दिनांक 28.11.2019 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी नारायण लाल तथा निर्माता फर्म बिकाली फूडस् इन्टरनेशनल लिमिटेड को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारूप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी नारायण लाल की फर्म महालक्ष्मी स्वीट् मार्ट, बस स्टेण्ड, रेवदर द्वारा सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के 450 ग्राम के पैकड पैकेटों को बिल इनवोईस नम्बर 1005/2019-20 दिनांक 09.9.2019 के द्वारा फर्म कान्हा ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड से क्रय किया गया था जो प्रतिवादी संख्या-2 (RIKIN AGARWAL) की फर्म है एवं प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म कान्हा ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड द्वारा सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के 450 ग्राम के पैकेटों को बिकाजी फूडस् इन्टरनेशनल लिमिटेड, बिकानेर से इनवोईस नम्बर SIUIS-1920-03403 दिनांक 13.8.2019 के द्वारा क्रय किये थे, जो खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए हैं, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी हैं।

.....पेज छः पर



a
प्रति. मिला विक्रेता
सिरोही-307001

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी नारायण लाल पुत्र मंछाराम जी, जाति- नागर, निवासी- गुडेश्वर महादेव की गली, रेवदर, तहसील रेवदर, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महालक्ष्मी स्वीट् मार्ट, बस स्टेण्ड, रेवदर पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) एवं प्रतिवादी RIKIN AGARWAL, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, KANHA TRADERS, AZAD MAIDAN, ABUROAD, DIST. SIROHI पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) तथा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED, F/196-199, F/178 & E-188-BICHHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334006 (Raj) पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खौड)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरौही